

19/1/26

वकील
राजकीय कार्य से बाहर
पत्रावली दिनांक 7/4/26
का पेश हो

07.04.2026

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी गैर हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 88, 188 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 12.05.2025 से विचाराधीन है। वकील वादी को पूर्व में पैरवी हेतु अनेक अवसर दिये गये थे परन्तु वकील वादी आज उपस्थित न्यायालय नहीं हुये है।

अतः वादी का वाद अधीन धारा 88, 188 एक्ट 1955 बावजूद हिदायत सूचना गैर हाजिर रहने पर अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।



(दिव्या सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां